रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 4—अक्तूबर 10, 2008 (आश्विन 12, 1930)

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 4—OCTOBER 10, 2008 (ASVINA 12, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 1215

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 903

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 13

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1551

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 6727

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 513

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 8919

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 445

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1215

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 903

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence 13

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 1551

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 6727

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 513

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 8919

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 445

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..... *

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2008

संकल्प

सं. 146/3/2007-आई टी सी। भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति, नई दिल्ली को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित मामलों पर विचार करेगी। इसकी एक सलाहकार निकाय होगी और इसके कार्य निम्नलिखित पर सरकार को सलाह देना होगा:

(i) करदाताओं तथा आयकर विभाग के बीच पारस्परिक सहमति और सहयोग को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहन देना; और

(ii) सामान्य प्रकृति के प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक अड़चनों को दूर करना।

समिति न तो वैयक्तिक मामलो पर विचार-विमर्श करेगी तथा न ही सरकार की कराधान नीति संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श करेगी।

2. समिति की संरचना इस प्रकार होगी:-

(i) अध्यक्ष - वित्त मंत्री

(ii) उपाध्यक्ष - वित्त राज्य मंत्री (राजस्व)

सरकारी सदस्य

(i) सचिव (राजस्व)

(ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(iii) सदस्य (राजस्व), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

गैर-सरकारी सदस्य

क. संसद सदस्य

(i) श्री गुरुदास कामत (लोक सभा)

(ii) श्री संतोष गंगवार (लोक सभा)

(iii) श्री जय प्रकाश [illegible] (लोक सभा)

(iv) श्री अर्जुन सेन गुप्ता (राज्य सभा)

(संसद सदस्यों का कार्यकाल समिति के गठन की तिथि से दो वर्ष अथवा जब तक वे संसद के सदस्य रहेंगे इनमें जो भी पहले हो, तक होगा।)

ख. अन्य गैर-सरकारी सदस्य

(i) अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली - 110001

(ii) अध्यक्ष, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम कार्पोरेट ऑफिस [illegible], जमरुदपुर, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048

(iii) अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ [illegible] ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, 23 बी/2, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, न्यू रोहतक रोड, न्यू लिबर्टी सिनेमा, नई दिल्ली 110005

(iv) अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पो. बॉक्स नं. 7100, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002

(v) श्री [illegible] पुरन्दरे, (सीनियर पार्टनर) प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड, 252 वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुम्बई-400028

(vi) श्री आर. [illegible] राव [illegible] ब्लॉक नं. 10, [illegible] नं. 21, [illegible] स्ट्रीट मायलापुर, चेन्नई-600004

(vii) श्री [illegible], [illegible] हाउस, [illegible] कोलकाता-700073

(viii) श्री शाहिद [illegible] (अर्थशास्त्री) ए-199, [illegible] नगर, नई दिल्ली-110025

(ix) श्री [illegible] आयकर, वाणिज्य तथा उद्योग-दक्षिण जोन के [illegible] रोड [illegible], कोच्चि- 682020

(x) श्री एस डी सक्सेना (आयकर, [illegible] तथा उद्योग- उत्तरी जोन के [illegible]) निदेशक(वित्त)

(xi) श्री के.वी. कामथ (व्यापार,वाणिज्य तथा उद्योग पश्चिमी जोन के प्रतिनिधि) आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड, आई सी आई सी आई बैंक टावर्स, बान्द्रा- कुर्ला काम्प्लैक्स,मुम्बई-400051

(xii) श्री सुनील कनोरिया (व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग- पूर्वी जोन के प्रतिनिधि) कनोरिया कॉटेज, 32 ब्यू, न्यू रोड, कोलकाता-700027

3. निदेशक(आई टी सी सी), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इस समिति के सचिव होंगे।

4. गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में पहली बार अक्तूबर और दिसम्बर के बीच तथा दूसरी बार अप्रैल और जून के बीच दूसरी बार होगी।

आदेश

आदेश है कि सामान्य जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करा दिया जाए।

मोना सिंह
निदेशक (आई टी सी सी)

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2008

संकल्प

सं. 5(3)/2004-डी-I (.) इस्पात और खान मंत्रालय ने दिनांक 31 जनवरी, 1986 के अपने संकल्प सं.एससी-1(1)/86 डी-III के तहत इस्पात और खान मंत्री की अध्यक्षता में एक 'इस्पात उपभोक्ता परिषद' का गठन किया था जिसमें सरकार, लोहा और इस्पात के उत्पादकों और उपभोक्ताओं, भवन निर्माताओं और संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006, 15 मई, 2006, 27 जून, 2006 और 6 अक्तूबर, 2006 के संकल्प संख्या-5 (3)/2004-डी-I के तहत 'इस्पात उपभोक्ता परिषद' का पुनर्गठन किया गया था।

2. दिनांक 20 नवंबर, 2006 के सकल्प संख्या-5 (3)/2004- डी-I के तहत परिषद के बढ़ाए गए कार्यकाल की अवधि 30 अक्तूबर, 2008 को समाप्त हो रही है। अब परिषद के कार्यकाल की अवधि को अन्य दो वर्ष अर्थात **30 अक्तूबर, 2010** तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

3. परिषद के कार्य अर्थात 'केंद्र सरकार को लोहा और इस्पात की आपूर्ति, उपलब्धता, गुणवत्ता और इनके बाजार रूख से संबंधित मामलों पर सलाह देना और सहायता करना' अपरिवर्तित रहेंगे।

आदेश

आदेश है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव

संकल्प

विषय: इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के गठन के संबंध में।

सं. 5[illegible]/2004 [illegible] इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24.3.20[illegible], [illegible].11.2006 और 24.8.2007 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2008 के समसंख्यक संकल्प के पैरा 7 के [illegible] श्री [illegible] जैन, सुपुत्र श्री [illegible] जैन, निवासी मं 2[illegible] [illegible] कॉलोनी, भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान को राजस्थान से इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद के सदस्य के रूप में एतद्द्वारा नामित किया जाता है।

आदेश

आदेश है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद कार्यालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति प्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश है कि आम जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर 2008

संकल्प

विषय : राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद स्थापित करने के संबंध में

सं. एफ 7--1/2008-बी. पी.--

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार ने देश की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तक उद्योग के विकास हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ वर्ष 1967 में एक राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की स्थापना की थी। तत्पश्चात्, वर्ष 1970 में इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसने फरवरी 1974 तक कार्य किया। राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद नामक एक नई निकाय की स्थापना [illegible] सितम्बर, 1983 को की गई जिसने 3 सितम्बर, 1986 तक कार्य किया। तत्पश्चात, 6.11.1990 को 3 वर्ष की अवधि अर्थात् 5.11.1993 तक के लिए इस परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस परिषद का अंतिम बार पुनर्गठन 18.12.199[illegible] को [illegible] वर्ष की अवधि [illegible] [illegible].12.2000 तक के लिए किया गया था।

2. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब पूर्व राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद को दोबारा प्रचालित करने का निर्णय लिया है जिसकी संरचना एवं कार्य इस प्रकार होंगे:

3. परिषद के कार्य:

पुस्तक संवर्धन से संबंधित सभी प्रमुख कार्यकलाप जिनमें अन्य कार्यों के साथ-साथ पुस्तकों का लेखन/रचना, उत्पादन, प्रकाशन तथा पुस्तकों की बिक्री; मूल्य एवं कॉपीराइट; पुस्तक पढ़ने की आदत; विभिन्न भारतीय भाषाओं में विभिन्न वर्गों के विभिन्न आयु-समूहों हेतु पुस्तकों की उपलब्धता एवं सुलभता और सामान्य तौर पर भारतीय पुस्तकों की गुणवत्ता एवं विषयवस्तु से संबंधित विचारों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना।

4. परिषद का मुख्यालय तथा सचिवालय :

इस परिषद का मुख्यालय, नई दिल्ली में स्थित होगा और पुस्तक संवर्धन तथा कॉपीराइट प्रभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार इसके सचिवालय की व्यवस्था करेगा।

5. परिषद का गठन

राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद का गठन इस प्रकार होगा:-

(क) अध्यक्ष

मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार

(ख) उपाध्यक्ष

उच्चतर शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार

(ग) रचनाकार/लेखक

(i) श्री सीताकांत महापात्र : उड़िया लेखक

(ii) श्री प्रभाष जोशी : हिन्दी लेखक

(iii) प्रो. यू.आर. अनन्तमूर्ति : कन्नड़ लेखक

(घ) पत्रकार :

(i) सुश्री मृणाल पांडे

(ii) श्री ललित सुजैया

(ड.) कापीराइट विशेषज्ञ :

श्री रघबीर सिंह, अध्यक्ष, कापीराइट बोर्ड

(i) सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार

(ii) सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार

(iii) सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

(iv) सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार

(v) अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली

(vi) अध्यक्ष, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली

(vii) निदेशक, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन, कोलकाता

(viii) अध्यक्ष, भारतीय प्रकाशक संघ, नई दिल्ली

(ix) अध्यक्ष, भारतीय प्रकाशक फेडरेशन तथा पुस्तक विक्रेता संघ, नई दिल्ली

(x) अध्यक्ष, भारतीय लेखक संघ, नई दिल्ली

(xi) अध्यक्ष, भारतीय लेखक सोसाइटी, नई दिल्ली

(xii) अध्यक्ष, सी.ए.पी.ई.एक्स.आई.एल., नई दिल्ली

(xiii) अध्यक्ष, दिल्ली राज्य पुस्तक विक्रेता एवं प्रकाशक, नई दिल्ली

(xiv) अध्यक्ष, भारतीय पुस्तकालय संगठन

(xv) अध्यक्ष, केन्द्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ फेडरेशन

(xvi) अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ

(xvii) संयुक्त सचिव (पुस्तक संवर्धन) सदस्य-सचिव ।

6. सदस्यों का कार्यकाल

राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। परिषद के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पदेन सदस्यों को छोड़कर और जब तक इसे कम अवधि का नहीं दर्शाया जाता सामान्यतः 3 वर्षों का होगा किन्तु वे पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। यदि परिषद का कोई सदस्य अपने कार्यालय अथवा अपनी नियुक्ति के परिणामस्वरूप परिषद का सदस्य बन जाता है तो उसके उस कार्यालय अथवा नियुक्ति से हटने पर परिषद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियों (पदेन सदस्यों को छोड़कर) को उस प्राधिकरण अथवा निकाय द्वारा भरा जाएगा जिसने उस सदस्य को नामित किया था जिसका पद रिक्त हुआ है तथा इस प्रकार की आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति परिषद का सदस्य उस शेष अवधि के लिए रहेगा जिस तक वह व्यक्ति सदस्य रहता जिसके स्थान पर रिक्ति हुई है।

7. बैठकें तथा उप-समितियां

परिषद साल में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगी। परिषद विशिष्ट उद्देश्यों हेतु समितियां (पैनल) गठित कर सकती है जो कि आवश्यकतानुसार बार-बार बैठकें कर सकते हैं।

परिषद की बैठकों में सामने आने वाले दृष्टिकोणों तथा सुझावों का प्रलेखन उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/एजेंसियों हेतु उनकी नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार करने में उपयुक्त स्तर तक सूचना के रूप में किया जाएगा।

परिषद की प्रत्येक बैठक हेतु कार्यसूची तथा इस पर नोट को उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर परिषद के सदस्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अमित खरे
संयुक्त सचिव (पुस्तक संवर्धन तथा कॉपीराइट)

दिनांक 12 सितम्बर 2008

सं. एफ. 9-61/2005-यू-3-

जबकि केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन की संस्था को 'सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने के लिए अधिकृत है।

2. और जबकि, रासायनिक प्रौद्योगिकी (स्वायत्तशासी) विश्वविद्यालय संस्थान, माटुंगा, मुम्बई से इसको रासायनिक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सम-विश्वविद्यालय) में परिवर्तित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

3. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपर्युक्त प्रस्ताव की जांच की है, तथा अपने दिनांक 10 मार्च, 2008 के पत्र संख्या 6-58/2005(सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई को 'सम-विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है;

4. इसलिए, अब, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, माटुंगा, मुम्बई को एक 'सम-विश्वविद्यालय' संस्थान के रूप में घोषित करती है, जो इसके मुम्बई विश्वविद्यालय से असंबद्ध होने की दिनांक से प्रभावी होगा।

5. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन में क्र0 सं 4 में बताई गई शर्तों की अनुपालना/पूर्ति के विषयाधीन होगी;

6. रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान महाराष्ट्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करती रहेगी।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

दिनांक 19 सितम्बर 2008

सं. एफ. 10-2/2008-यू-3(ए)--

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है,

और जबकि, शिक्षा और अनुसंधान (एस ओ ए), भुवनेश्वर, उड़ीसा जिसमें निम्नलिखित पांच अंगीभूत संस्थाएं शामिल हैं, को अपने संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालयों नामतः बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से निम्नलिखित संस्थाओं का संबंधन समाप्त होने की तारीख से इस मंत्रालय की दिनांक 17 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं.एफ. 9-33/2007-यू.3 के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत 'समविश्वविद्यालय' घोषित किया गया बशर्ते कि उसकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति द्वारा दो वर्षों के बाद समीक्षा की जाए:-

(i) तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान संस्थान,

(ii) व्यापार और कम्प्यूटर अध्ययन संस्थान

(iii) होटल प्रबंधन स्कूल

(iv) दंत विज्ञान संस्थान

(v) एस यू एम नर्सिंग कॉलेज

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, भुवनेश्वर को इस मंत्रालय के दिनांक 17 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं0 9-33/2002 यू-3 के जरिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उद्देश्यों हेतु बाद की अंगीभूत इकाई के रूप में शिक्षा 'ओ' अनुसंधान क्षेत्राधिकार में लाया गया बशर्ते कि अन्य बातों के साथ-साथ दो वर्षों के बाद एस ओ ए और इसकी अन्य पांच अंगीभूत इकाईयों के साथ इसकी समीक्षा की जाए।

4. और जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और एस यू एम हॉस्पिटल, कलिंगा नगर, भुवनेश्वर को शिक्षा 'ओ' अनुसंधान के क्षेत्राधिकार में शामिल करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

5. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की और अपने दिनांक 2 जनवरी, 2008 के पत्र सं. एफ. 6-65/2004 (सी पी पी-I) के जरिए शिक्षा 'ओ' अनुसंधान के क्षेत्राधिकार में ऑफ कैम्पस के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और एस यू एम हॉस्पिटल को शामिल करने के लिए इस मंत्रालय को सिफारिश की है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

(i) चिकित्सा कॉलेज भारतीय चिकित्सा परिषद् के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी छात्र को दाखिल नहीं करेगा; और

(ii) शिक्षा 'ओ' अनुसंधान समविश्वविद्यालय को समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भा.चि.प. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और निर्देशों का पालन करेगा।

6. अतः अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और एस यू एम हॉस्पिटल, कलिंगा नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा अपने सम्बद्धन विश्वविद्यालय अर्थात् उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और एस यू एम हॉस्पिटल के सम्बद्धन समाप्त होने की तारीख से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के उद्देश्यों के लिए शिक्षा 'ओ' अनुसंधान "समविश्वविद्यालय भुवनेश्वर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ऑफ कैम्पस केन्द्र के रूप में होगा, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

(i) इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और एस यू एम हॉस्पिटल भारतीय चिकित्सा परिषद् के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी छात्र को दाखिल नहीं करेगा।

(ii) शिक्षा 'ओ' अनुसंधान शैक्षिक सत्र 2009–2010 से ही आगे नामांकन के अन्तर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और एस यू एम हॉस्पिटल के शैक्षिक पाठ्यक्रम में छात्रों को दाखिल करेगा।

(iii) शिक्षा 'ओ' अनुसंधान और इसकी अन्य छह संघटक इकाईयों सहित इस संस्थान की दो वर्षों के पश्चात् समीक्षा की जाएगी।

(iv) विश्वविद्यालय सम-विश्वविद्यालय को समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मा.सं.वि.म. द्वारा जारी दिशानिर्देशों और निर्देशों का अनुपालन करेगा।

7. सम-विश्वविद्यालय की यह घोषणा इस अधिसूचना की उपरोक्त की क्र.सं. 6 में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त इस मंत्रालय के दिनांक [illegible] जुलाई, 2007 की अधिसूचना की पृष्ठांकन क्रम संख्या 7 में उल्लिखित शर्तों द्वारा अधिशासित होगी।

8. मानव संसाधन विकास मंत्रालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा 'ओ' अनुसंधान या इसकी किसी संघटक इकाई को कोई भी योजनागत और गैरयोजनागत अनुदान नहीं देगा।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 2008

संकल्प

सं. हिंदी/समिति/2008/38/4

भारत सरकार ने रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 23.06.2005 के संकल्प सं.हिंदी/समिति/2004/38/2 के अधीन गठित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल समाप्त होने पर इस संकल्प के जारी होने की तारीख से इस समिति का पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया है. पुनर्गठित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा :

1. गठन

<u>सरकारी सदस्य</u>

1.	रेल मंत्री	अध्यक्ष
2.	रेल राज्य मंत्री (एन)	उपाध्यक्ष
3.	रेल राज्य मंत्री (वी)	उपाध्यक्ष

4.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	सदस्य
5.	वित्त आयुक्त, रेलें	सदस्य
6.	सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड	सदस्य
7.	सदस्य इंजीनियरी, रेलवे बोर्ड	सदस्य
8.	सदस्य यांत्रिक, रेलवे बोर्ड	सदस्य
9.	सदस्य बिजली, रेलवे बोर्ड	सदस्य
10.	सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड	सदस्य
11.	सचिव, रेलवे बोर्ड	सदस्य
12.	सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
13.	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का एक और प्रतिनिधि	सदस्य
14.	सलाहकार (औ.सं.),रेलवे बोर्ड	सदस्य
15.	निदेशक, राजभाषा, रेलवे बोर्ड	सदस्य सचिव

संसद सदस्य

- (संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित)

16. डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय, संसद सदस्य, लोक सभा,
(i)1, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001.
(ii)15, पुराना अस्पताल मार्ग, जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश.

17. कुंवर सर्वराज सिंह, संसद सदस्य, लोक सभा,
(i) 52-54, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001.
(ii) कोठी इंदर भवन, मारवाड़ी गंज, बरेली, उत्तर प्रदेश.

- (संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित)

18. श्री फुरकान अंसारी, संसद सदस्य, लोक सभा,
(i) 8, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001.
(ii) स्थान और डाकघर मधुपुर, जिला देवघर, झारखंड.

19. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल, संसद सदस्य, लोक सभा,
(i) 6, जी.आर.जी. रोड, नई दिल्ली.
(ii) अनुद चैम्बर्स, 203, शनिवार पेठ, जिला-सतारा, महाराष्ट्र-415110.

20. डॉ. प्रभा ठाकुर, संसद सदस्य, राज्य सभा,
(i) 36, मीना बाग, नई दिल्ली.
(ii) ए-137, कृष्णा मार्ग, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान.

21. श्री राजनीति प्रसाद, संसद सदस्य, राज्य सभा,
(i) फ्लैट सं. 191, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001.
(ii) सूरी टोला, महेन्द्रू, पटना-6, बिहार.

गैर-सरकारी सदस्य

22. श्री गिरिराज किशोर, 11/210, सूटरगंज, कानपुर-208001.

23. श्री सुरेंद्र शर्मा, कवि, 1, राम किशोर रोड/4, रोहतिया अपार्टमेंट, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली-110054.

24. श्री जसदेव सिंह, प्रसारक एवं लेखक, (राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित), बी-1-बी, अलकनंदा, गंगोत्री एन्क्लेव, नई दिल्ली.

25. प्रो. के.सी. यादव, 85, सेक्टर-23, गुड़गांव (हरियाणा).

26. डॉ. कुमार विमल, पूर्व अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, 96, एम आई जी एच, लोहिया नगर, पटना-800020, बिहार.

27. श्री बशीर अहमद मयूख, 2, ल, 17, विज्ञान नगर, कोटा-5(राजस्थान).

28. श्री राजेंद्र यादव, संपादक, हंस, 2/36,अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-2.

29. श्री रवि अटल, कस्तूरबा पथ (घर नं. 8), नार्थ श्रीकृष्णापुरी, पटना 800013.

30. श्री शिशिर सोनी, वरिष्ठ पत्रकार, 790, तीसरा तल, गुरु राम दास नगर एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092.

31. श्रीमती गीता भार्गव, सी-6, द्वारकापुरी, प्रेम नगर के पीछे, किला गेट रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश.

32. श्री संजय सिंह, 170-डी, शिप्रा सनसिटी, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश. पिन-201010.

33. श्री सैयद हामिद अली, 54, लाल बहादुर सदन, गोल मार्केट, नई दिल्ली-1.

34. प्रो.डॉ. कुमकुम राय, मार्फत डॉ. राम नगीना राय, ओरियन्ट क्लब, आमगोला रोड, मुजफ्फरपुर, बिहार.

- (राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा नामित)

35. श्री हसन खलील, ग्राम-बघौल, पोस्ट-मुरैठा, थाना एवं प्रखण्ड-जाले, जिला-दरभंगा, बिहार.

36. श्री कामेश्वर यादव, ग्राम एवं पोस्ट-अकौर, भाया-बेनीपट्टी, जिला- मधुबनी, बिहार.

37. श्री धनबीर पासवान, ग्राम-एकडारा, पोस्ट-खजौली, प्रखण्ड-खजौली, जिला-मधुबनी, बिहार.

- **(हिंदी सेवी संस्थाएं)**

38. प्रधान मंत्री, हिंदी साहित्य सम्मेलन,प्रयाग,12, सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद.

39. प्रधान, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स .वाई .-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली -110023.

2. **समिति के कार्य**

समिति केन्द्रीय हिंदी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीतियों के अनुसार रेल मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में सलाह देगी.

3. **कार्यकाल**

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यत: समिति के गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा बशर्ते कि :-

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे.

(ख) जो संसद सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य होने की हैसियत से इस समिति के सदस्य हैं, वे संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे.

(ग) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य रहेंगे.

(घ) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्याग पत्र देने के कारण स्थान खाली होता है, तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा.

4. **सामान्य**

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, किंतु समिति की बैठकें दिल्ली से बाहर किसी अन्य स्थान पर भी की जा सकती हैं.

5. **यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते**

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 22.1.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20034/4/86-रा.भा.(नीति 2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप दैनिक भत्ता दिया जाएगा. समिति के अधिकृत काम और बैठकों आदि के विषय में उन्हें रेल यात्रा के लिए पहले दर्जे/वातानुकूल (दूसरे दर्जे) का रेलवे पास दिया जाएगा.

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय,लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाए.

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए.

मैथ्यू जॉन
सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 24th September 2008

RESOLUTION

No. 146/3/2007-ITCC. The Government of India has decided to reconstitute the Central Direct Taxes Advisory Committee (CDTAC) at New Delhi. The Committee will deal with matters relating to Direct Taxes. It will be an advisory body and its functions will be to advice the Government on measures for:

(i) developing and encouraging mutual understanding and co-operation between tax payers and the Income Tax Department; and

(ii) removing administrative and procedural difficulties of a general nature.

The committee shall not discuss individual cases nor shall it discuss matters relating to the taxation policy of the Government

2. The composition of the committee would be as under:-

(i)	Chairman	-	Finance Minister
(ii)	Vice-Chairman	-	Minister of State for Finance (Revenue)

Official Members

(i) Secretary (Revenue)

(ii) Chairman, Central Board of Direct Taxes

(iii) Member (Revenue), Central Board of Direct Taxes

Non-Official Members

A. Members of Parliament

(i) Shri Gurudas Kamat (Lok Sabha)

(ii) Shri Santosh Gangwar (Lok Sabha)

(iii) Shri Jai Prakash Aggarwal (Rajya Sabha)

(iv) Shri Arjun Sengupta (Rajya Sabha)

(The term of Members of Parliament will be two years from the date of the constitution of the Committee or till they cease to be members of Parliament whichever is earlier)

B. Other Non- Official Members

(i) President, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Federation House, Tansen Marg, New Delhi – 110001.

(ii) President, Associated Chambers of Commerce and Industry of India, ASSOCHAM Corporate Office, 1, Community Centre, Zamrudpur, Kailash Colony, New Delhi – 110048.

(iii) President, Federation of Association of Small Industries of India, 23-B/2, Guru Govind Singh Marg, New Rohtak Road, New Liberty Cinema, New Delhi – 110005.

(v) President, Institute of Chartered Accountants of India, Post Box No. 7100, Indraprastha Marg, New Delhi - 110002.

(vi) **Sh. Jairaj Purandare,** (Chartered Accountant), Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd. 252 Veer Savarkar Marg, Shivaji Park, Dadar, Mumbai - 400028.

(vii) **Sh. R. Dhanpal Raj,** (Advocate), Old No. 10., New No. 21, Rakiappa Street, Mylapore, Chennai - 600004.

(viii) **Sh. Ashoke K. Dutta,** (Management expert), Management House, College Square West, Kolkata - 700073.

(ix) **Sh. Shahid Ashraf,** (Economist), D-199, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, New Delhi- 110025.

(x) **Sh. Sebestian Philip Cherukara,** (Representative of Trade, Commerce & Industry -Southern Zone), 2nd Floor, Melka Tower, Cheruparambath Road, Kadavanthara, Kochi-682020.

(x) **Sh. S. D. Saxena,** (Representative of Trade, Commerce & Industry -Northern Zone), Director (Finance), BSNL, Bharat Sanchar Bhawan, Janpath, New Delhi-110001.

(xi) **Sh. K. V. Kamath,** (Representative of Trade, Commerce & Industry -Western Zone), ICICI Bank Limited, ICICI Bank Towers, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.

(xii) **Sh. Sunil Kanoria,** (Representative of Trade, Commerce & Industry -Eastern Zone), Kanoria Cottage, 32Q, New Road, Kolkata - 700027.

3. Director (ITCC) CBDT shall be the Secretary of the Committee.

4. The term of office of non-official members shall be two years. The committee shall meet twice in every year; for the first time between October and December and for the second time between April and June.

ORDER

Order that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

MONA SINGH
Director (ITCC)

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 12th September 2008

RESOLUTION

No. 5(3)/2006-DI (.) Vide Resolution No. SC-1(1)/86-DIII dated 31st January, 1986, the Government of India had constituted a 'Steel Consumers' Council' under the chairmanship of the Minister of Steel and Mines, consisting of representatives of the Government, producers and consumers of iron and steel, house builders and related industries. The Steel Consumers' Council was re-constituted vide this Ministry's Resolutions No. 5(3)/2004-DI dated 24th March, 2006, 15th May,2006, 27th June,2006 and 6th October,2006 and subsequent Resolutions issued by this Ministry in this regard from time to time.

2. The tenure of the Council which was last extended vide Resolution No. 5(3)/2004-DI dated 20th November, 2006 is expiring on 30th October, 2008 It has now been decided to extend the tenure of the Council by another two years i.e. up to ***30th October, 2010.***

3. The functions of the Council i.e. " to advise and assist the Central Government on matters relating to supply, availability, quality and the market trends of iron and steel" will remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

UDAI PRATAP SINGH

Joint Secy.

RESOLUTION

Subject: Constitution of Steel Consumers' Council of Ministry of Steel--- regarding.

No. 5(3)/2004-D-I (.)In continuation of Ministry of Steel Resolutions of even number dated 24.03.2006, 26.11.2006 and 24.08.2007, Shri Nem Chand Jain S/o Shri Lakhmi Chand Jain resident of # 22, Dhaba Complex, Bhiwadi, District Alwar, Rajasthan is hereby nominated as Member to the Steel Consumers' Council of Ministry of Steel from Rajasthan under Para.7 of the Ministry of Steel Resolution of even number dated 24th March, 2006.

ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

UDAI PRATAP SINGH

Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 2nd September 2008

RESOLUTION

Subject: - National Book Promotion Council – Setting up of.

No. F. 7-1/2008-BP—

The Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Government of India, had set up a National Book Development Board in 1967 to lay down guidelines for the development of the book industry in the context of the over–all requirements of the country. The Board was subsequently reconstituted in 1970 and functioned until February 1974. A new body called the National Book Development Council was set up on 15th September 1983 and functioned till 3rd September 1986. Thereafter, the Council was reconstituted on 06-11-1990 for a period of 3 years i.e. up to 05-11-1993. The Council was last reconstituted on 18.12.1997 for a period of three years i.e. up to 17-12-2000.

2 The Government of India, Ministry of Human Resource Development have now decided to revive the erstwhile National Book Promotion Council which will have the following constitution and functions. -

3. **Functions of the Council**

To facilitate exchange of views on all major aspects of book promotion, inter alia, covering writing /authorship of books, production, publication and sale of books; prices and copyright, habit of book reading availability and reach of books for different segments of population for various age groups in different Indian languages and the quality and content of Indian books in general.

4. Headquarters and Secretariat of the Council

The Headquarters of the Council shall be at New Delhi and its Secretariat will be provided by the Book Promotion and Copyright Division in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India.

5. Composition of the Council.

The National Book Promotion Council will have the following composition:

(a) Chairman

Minister of Human Resource Development , Government of India.

(b) Vice-Chairman

Minister of State for Higher Education, Government of India

(c) Authors / Writers :

(i) Shri Sitakant Mahapatra : Oriya Writer

(ii) Shri Prabhash Joshi : Hindi Writer

(iii) Prof. U. R. Anantha Murthy : Kannada Writer

(d) Journalists :

(i) Ms. Mrinal Pande

(ii) Shri Lalit Surjan

(e) Expert in Copyright :

Shri Raghbir Singh, Chairman, Copyright Board

(f) Ex-officio Members :

i Secretary Department of Higher Education, GOI

II. Secretary, Department of School Education & Literacy, GOI

III. Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, GOI
IV Secretary, Department of Consumer Affairs GOI
V Chairman National Book Trust, India, New Delhi
VI President, Sahitya Akademi, New Delhi
VII Director, Raja Ram Mohun Roy Library Foundation, Kolkata
VIII. President, Federation of Indian Publishers New Delhi
IX. President, Federation of Publishers' & Booksellers Associations in India, New Delhi
X President, Authors Guild of India, New Delhi
XI. President, Indian Society of Authors, New Delhi
XII. President, CAPEXIL, New Delhi
XIII. President, Delhi State Booksellers & Publishers, New Delhi
XIV. President, Indian Library Association
XV. President, Federation of Central Universities Teachers' Association (FEDCUTA)
XVI. President, National Student's Union of India (NSUI)
XVII. Joint Secretary (BP) : Member – Secretary.

6. Tenure of Members

The term of the National Book Promotion Council shall be three years. The tenure of the Chairman and each member of the Council, other than ex-officio members, shall normally be three years, unless a shorter term is indicated; but they will be eligible for re-appointment. Where a Member of the Council becomes a member by reason of the office or appointment he holds, his membership of the Council shall stand terminated when he or she ceases to hold that office or appointment. All casual vacancies among the Members (other than ex-officio members) shall be filled by the authority or body who nominated the member whose place has fallen vacant and the person appointed to a casual vacancy shall be a Member of the Council for the residue of the term for which the person whose place has been filled, would have been a Member

7. Meetings and Sub - Committees

The Council shall meet at least once a year The Council may set up Committees / Panels for specific purposes which may meet as frequently as required.

The views and suggestions emerging from the meetings of the Council will be documented by the Department of Higher Education as inputs to be taken note of by concerned Ministries/Agencies of the Government of India, to the extent relevant in formulating their policies and programmes.

For each meeting of the Council, the agenda and notes thereon will be prepared by the Department of Higher Education on the basis of suggestions received from Members of the Council from time to time;

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Ministers' Office, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

AMIT KHARE
Joint Secy. (BP & Copyright)

The 12th September 2008

No. F. 9-61/2005-U. 3—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as a "Deemed-to-be-University".

2. And whereas, a proposal was received from the University Institute of Chemical Technology (Autonomous), Matunga, Mumbai for its conversion into a University (Deemed) of Chemical Technology;

3. And whereas, the University Grants Commission (UGC) has examined the said proposal and vide its communication bearing No.6-58/2005 (CPP-I/DU) dated the 10th March, 2008 has recommended for conferment of 'Deemed to be University' status to the Institute of Chemical Technology, Mumbai;

4 Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act 1956 the Central Government, on the advice of the UGC hereby declares that the Institute of Chemical Technology, Matunga, Mumbai shall be an institution "Deemed-to-be-University", for the purposes of the aforesaid Act, with effect from the date of its disaffiliation from the University of Mumbai.

5. The declaration as made in para 4 above is subject to fulfillment / compliance of the conditions mentioned at Sr. No 4 of the endorsement to this Notification;

6. The Institute of Chemical Technology shall continue to receive financial support from the Government of Maharashtra and the UGC.

SUNIL KUMAR

Joint Secy.

The 19th September 2008

No. F. 10-2-2008-U. 3(A)

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university for the purpose of said Act.

2. And whereas Siksha O' Anusandhan (SOA), Bhubaneswar, Orissa comprising the following five constituent institutions, was declared 'deemed-to-be-a- university', under Section 3 of the UGC Act, 1956, vide this Ministry's notification No.F 9-33/2002-U.3 dated the 17th July, 2007, with effect from the date of disaffiliation of the following institutions from their respective affiliating universities, namely, Biju Patnaik University of Technology, Rourkela and Utkal University, Bhubaneswar, subject to a review after two years by an Expert Committee of the UGC:

(i) Institute of Technical Education & Research
(ii) Institute of Business & Computer Studies
(iii) School of Hotel Management
(iv) Institute of Dental Sciences
(v) SUM Nursing College.

3. And whereas, on the recommendation of the UGC the School of Pharmaceutical Sciences, Bhubaneswar was brought in the ambit of Siksha 'O' Anusandhan, as the latter's constituent unit', for the purposes of the UGC Act, 1956, vide this Ministry's Notification No.F.9-33/2002-U.3 dated the 17th September, 2007 subject to *inter alia* its review along with the SOA and its other five constituent units after two years;

4. And whereas, a proposal was received from the Siksha 'O' Anusandhan for inclusion of Institute of Medical Sciences & SUM Hospital, Kalinga Nagar, Bhubaneswar in its ambit

5. And whereas, the UGC has examined the said proposal and vide its communication No.F.6-65/2004(CPP-I) dated the 2nd January, 2008 has

recommended to this Ministry for inclusion of the Institute of Medical Sciences & SUM Hospital as an off-campus centre in the ambit of Siksha 'O' Anusandhan subject to the following conditions:

(i) The Medical College shall not admit any student without obtaining prior approval of the Medical Council of India (MCI); and

(ii) The Siksha 'O' Anusandhan shall adhere to the guidelines and instructions issued by the UGC and the MCI from time to time to Deemed to be Universities.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC in the matter, hereby declares that the Institute of Medical Sciences & SUM Hospital, Kalinga Nagar, Bhubaneswar, Orissa shall be an off-campus centre under the ambit of Siksha 'O' Anusandhan, "Deemed-to-be-University", Bhubaneswar, for the purposes of the UGC Act, 1956, with effect from the date of disaffiliation of the Institute of Medical Sciences & SUM Hospital from its affiliating university, i.e. Utkal University, Bhubaneswar, subject to the following conditions:-

(i) The Institute of Medical Sciences & SUM Hospital shall not admit any student without obtaining prior approval of the Medical Council of India (MCI);

(ii) The Siksha 'O' Anusandhan shall admit students to the academic course of the Institute of Medical Sciences & SUM Hospital under its enrolment only with effect from the academic session 2009-2010 onwards.

(iii) The institute will be reviewed along with the Siksha 'O' Anusandhan and its other six constituent units after two years.

(iv) The University shall adhere to the guidelines and instructions issued by the UGC and the MCI from time to time to Deemed to be Universities.

7. The declaration made in the para 6 above will be governed by the conditions mentioned at Sr. No.7 of the endorsement of this Ministry's notification of even number dated the 17th July, 2007 in addition to those mentioned at Sr. No.5 of the endorsement to this notification.

8. The Ministry of Human Resource Development or the University Grants Commission will not provide any Plan and Non-Plan grants either to the Siksha 'O' Anusandhan or any of its constituent units.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 15th September 2008

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/2008/38/4 –

The Railway Hindi Salahkar Samiti constituted under the Ministry of Railways Resolution No. Hindi/Samiti/2004/38/2 dated 23. 06.2005 has completed its tenure and the Government of India have decided to reconstitute the same w.e.f. the date of issue of this Resolution. The composition of the re-constituted Railway Hindi Salahakar Samiti will be as under :

1. **Composition**

Official Members

1.	Minister for Railways	Chairman
2.	Minister of State for Railways (N)	Dy. Chairman
3.	Minister of State for Railways (V)	Dy. Chairman
4.	Chairman, Railway Board	Member
5.	Financial Commissioner, Railways	Member
6.	Member Traffic, Railway Board	Member
7.	Member Engineering, Railway Board	Member
8.	Member Mechanical, Railway Board	Member
9.	Member Electrical, Railway Board	Member
10.	Member Staff, Railway Board	Member
11.	Secretary, Railway Board	Member
12.	Secretary, OL Department, Ministry of Home Affairs	Member
13.	One more Representative of OL Department, Ministry of Home Affairs	Member
14.	Advisor(Industrial Relations), Railway Board	Member
15.	Director (OL), Railway Board	Member Secretary

Member of Parliament
(Nominated by Parliamentary Official Language Committee.)

16. Dr. Laxmi Narayan Pandey, MP, Lok Sabha.
    (i) 1, Firozshah Road, New Delhi-110001.
    (ii) 15, Old Hospital Road, Jawara, District Ratlam, Madhya Pradesh.

17. Kunwar Sarvraj Singh, MP, Lok Sabha.
(i) 52-54, North Avenue, New Delhi.
(ii) Kothi Inder Bhawan, Marwari Ganj, Barelly, Uttar Pradesh.

(Nominated by Parliament Affairs Ministry)

18. Shri Furkan Ansari, MP, Lok Sabha,
(i) 8 North Avenue, New Delhi-110001.
(ii) Place & Post Office Madhupur, Distt. Devghar, Jharkhand.
19. Shri Sirinivas Dadasaheb Patil, MP, Lok Sabha,
(i) 6, G.R.G. Road, New Delhi.
(ii) Anud Chambers, 203, Shanivar Peth, Distt.-Satara, Maharashtra- 415110.
20. Dr. Prabha Thakur, MP, Rajya Sabha,
(i) 36, Meena Bagh, New Delhi.
(ii) A-137, Krishna Marg, Shyam Nagar, Jaipur, Rajasthan.
21. Shri Rajniti Prasad, MP, Rajya Sabha,
(i) Flat No.- 191, North Avenue, New Delhi-110001.
(ii) Soori Tola, Mahendru, Patna-6, Bihar.

Non-Official Members

22. Shri Giriraj Kishor, 11/210, Soutar Ganj, Kanpur-208001.

23. Shri Surender Sharma, Poet, 1, Ram Kishor Road/4, Rohtia Apartment, Civil Lines, New Delhi-110054.

24. Shri Jasdev Singh, Broadcaster & Writer (Honoured by President with Padma Shree & Padma Bhushan), B-1-B, Alaknanda, Gangotri Enclave, New Delhi

25. Prof. K.C. Yadav, 85, Sector-23, Gurgaon (Haryana).

26. Dr. Kumar Vimal, Ex President, Bihar Public Service Commission, 96, MIGH, Lohia Nagar, Patna-800020, Bihar.

27. Shri Basheer Ahamad Mayukh, 2-L, 17, Vigyan Nagar, Kota-5 (Rajasthan).

28. Shri Rajendra Yadav, Editor, Hans, 2/36, Ansari Road, Daryaganj, Delhi-02.

29. Shri Ravi Atal, Kasturba Path, (H.No.8) North Srikrishanapuri, Patna-800013.

30. Shri Shishir Soni, Sr. Journalist, 790, IIIrd. Floor, Guru Ramdas Nagar Extension, Laxmi Nagar, New Delhi-110092.

31. Smt. Geeta Bhargav, C-6, Dwarkapuri, Behind Prem Nagar, Quila Gate Road, Gwalior, M.P.

32. Shri Sanjay Singh, 170-D, Shipra Suncity, Indira Puram, Gaziabad, Uttar Pradesh-201010.

33. Shri Syed Hamid Ali, 54, Lal Bahadur Sadan, Gole Market, New Delhi-110001.

34. Prof. Dr. Kum Kum Rai C/o Dr. Ram Nagina Rai, Orient Club, Aamgola Road, Muzzafarpur, Bihar.

(Nominated by Official Language Department, Home Ministry)

35. Shri Hassan Khalid, Village-Baghaul, Post-Muretha, P.S. and Block-Jaale, Distt. Darbhanga, Bihar.

36. Shri Kameshwar Yadav, Vill.&P.O.-Akaur, Bhaya- Benipatti, Distt. Madhubani, Bihar.

37 Shri Dhanbir Paswan, Village-Ekdara, P.O.-Khajauli, Block-Khajauli, Distt. Madhubani, Bihar.

(Hindi Serving Institutions)

38. Pradhan Mantri, Hindi Sahitya Sammelan, Prayag, 12- Sammelan Marg, Allahabad (U.P.)

39. Pradhan, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi-110023.

II Functions

The functions of the Samiti will be to advise Ministry of Railways on matters relating to progressive use of Hindi for official purpose in accordance with the policy laid down from time to time by the Central Hindi Committee and Department of Official Language.

III Tenure

The term of the Samiti will normally be three years from the date of its reconstitution provided that :-

(a) A member, who is a Member of Parliament, will cease to be a Member of the Samiti as soon as he ceases to be the Member of Parliament.

(b) The Members of Parliament who are members of the Samiti by virtue of their being Members of Committee of Parliament on Official

Language, will cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the members of Committee of Parliament on Official Language.

(c) Ex-officio members of the Samiti shall continue to be members as long as they hold office by virtue of which they are the members of the Samiti.

(d) If a vacancy arises in the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member so appointed in that vacancy, shall hold office for the residual term of three years.

IV **General**

The headquarters of the Samiti will be at New Delhi but it may hold its meetings at any other place also.

V **Travelling and other allowances**

The non-official members will be given Daily Allowance for attending the meetings of the Samiti as per the guidelines in O.M. No. II/20034/4/86-OL (Policy 2) dated 22.01.1987 of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. For rail journeys connected with authorised work and meetings of the Committee, First Class/Second AC Railway Passes will be issued.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and all Ministries and Departments of Government of India.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MATHEW JOHN

Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008